12.6.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट लोहापुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड फसाबन्दी सं. 2067 से 2070 ग्राम लोहापुरा के अनुसार भूमि ख.नं. 92, 93, 95, 96, 97, 107, 733/106 किता-7 कुल रकबा 2.77 है. की खातेदारी छगनलाल बजरंगलाल पुत्र विशेश्वरलाल जाति महाजन के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा ख.नं. 94 रकबा 0.04 है. की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादीगण इकरारनामा लिखावट के आधार पर छगनलाल बजरंगलाल पुत्र विशेश्वरलाल की खातेदारी भूमि की घोषणा अपने नाम करवाना चाहते है। पत्रावली में उपलब्ध फोटोकापी इकरारनामा पंजियुत दस्तावेज नहीं है। उक्त कथित इकरारनामा के आधार पर किसी रजिस्टर्ड खातेदार की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। उक्त विवेचन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नाकर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.6.18 को कैम्प कोर्ट लोहापुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner